

रिपोर्ट पटवारी बिछड़ी तहसील कुराबड जिला उदयपुर

110, 111 256, 488 प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे अविज्ञात तथ्य राही है। ग्राम बिछड़ी की खाता संख्या 110, 111 256, 488 मे प्रार्थी का नाम सुल्तान सिंह पिता दोस्त सिंह दर्ज है, जबकि प्रार्थी के नाम सरकारी दरतावेजो मे राही नाम पप्पु सिंह दर्ज है। खाते मे दर्ज नाम प्रार्थी के नाम का विकृत रूप/अपभ्रम है। अतः ग्राम बिछड़ी की खाता संख्या 110, 111 256, 488 मे दर्ज नाम सुल्तान सिंह को बजाय राही इन्द्राज पप्पु सिंह पिता सुल्तान दर्ज किया जाना उचित है।

भू अभिलेख निरीक्षक
सिंह

पटवारी
पटवारी बिछड़ी
तहसील कुराबड जिला-उदयपुर

कार्यालय तहसीलदार कुराबड जिला उदयपुर

110, 111 256 भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बिछड़ी की जमाबन्दी की खाता संख्या 110, 111 256, 488 मे दर्ज नाम सुल्तान सिंह पिता दोस्त सिंह के बजाय सही नाम पप्पु सिंह पिता दोस्त सिंह दर्ज किया जाना उचित है।

तहसीलदार-कुराबड
तहसीलदार सुल्तान सिंह
जिला-उदयपुर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा जिला उदयपुर

क्र.सं. 50/2026 कमांक/1207
24/2/20

दिनांक 17/3/26

::आदेशः

प्रार्थी के प्रार्थना एवं तहसीलदार कुराबड की रिपोर्ट एवं सलग

दस्तावेजों के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम बिछड़ी

की जमाबन्दी की खाता संख्या 110, 111 256, 488 मे दर्ज नाम/इन्द्राज सुल्तान सिंह पिता दोस्त सिंह

के बजाय सही नाम/इन्द्राज पप्पु सिंह पिता दोस्त सिंह दर्ज करने की स्वीकृती प्रदान की जाती है। तहसीलदार कुराबड आदेशानुसार

राजस्व रिकार्ड में अगल दरागद कर पालना करे।

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर